कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 01.06.2026

थाना बकेवर पुलिस द्वारा गुमशुदा युवक विजय निषाद की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रेम-प्रसंग के चलते हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता (पति-पत्नी) को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर शव के अवशेष, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, आलाकत्ल लकड़ी का चौखट एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए। उक्त घटना का सफल अनावरण एवं गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक द्वारा ₹25,000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 31.05.2026 को वादी श्री इन्द्रपाल निषाद पुत्र स्व० नत्थू निषाद निवासी ग्राम टिकरा थाना बकेवर जनपद फतेहपुर द्वारा दी गई तहरीर बावत वादी का पुत्र विजय निषाद दिनांक 08.05.2026 को घर से मोटरसाइकिल द्वारा ग्राम मनकी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर जाने की बात कहकर निकला था, जो वापस घर नहीं आया। इस संबंध में थाना बकेवर पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वादी द्वारा तहरीर में आरोप लगाया गया कि उसके पुत्र की किरन पत्नी कामता निषाद निवासी ग्राम मनकी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर से बातचीत होती थी तथा उक्त रंजिश के कारण किरन एवं उसके पति कामता निषाद द्वारा उसके पुत्र विजय निषाद उपरोक्त की हत्या कर शव को छिपा दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बकेवर पर मु0अ0सं0-73/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण एवं पुलिस उपाधीक्षक बिन्दकी के नेतृत्व में उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी-पतारसी, सर्विलांस एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना बकेवर पुलिस द्वारा दिनांक-31.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित

वांछित अभियुक्त व 01.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्ता क्रमशः 1. कामता प्रसाद निषाद पुत्र रामकिशुन उम्र करीब 30 वर्ष तथा 2. किरन देवी पत्नी कामता प्रसाद निषाद उम्र करीब 26 निवासीगण ग्राम मनकी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कामता प्रसाद की निशानदेही पर मृतक विजय निषाद के पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ताबीज, जले हुए कपड़ों के अवशेष, एक जोड़ी जूते, आलाकत्ल लकड़ी का चौखट, आरी एवं ग्राइंडर ब्लेड, मोबाइल व चश्मे के टूटे हुए पार्ट्स तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही अभियुक्त की निशानदेही पर थाना रेउना जनपद कानपुर नगर क्षेत्रान्तर्गत जंगल से मानव कंकाल एवं अन्य अवशेष बरामद हुए। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को आज दिनांक-01.06.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त एवं अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि किरन देवी और मृतक विजय निषाद के बीच लगभग 08 माह से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस संबंध की जानकारी होने पर अभियुक्त कामता प्रसाद मृतक विजय निषाद से रंजिश मानने लगा तथा उसने विजय निषाद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के तहत दिनांक 08.05.2026 को किरन देवी द्वारा मोबाइल फोन से विजय निषाद को मिलने के बहाने अपने घर बुलाया गया तथा अपने घर के अंदर ले जाते हुए यह कहकर मुख्य दरवाजे का ताला बंद कर दिया कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ जाये जबकि किरन का पति अभियुक्त कामता प्रसाद घर पर पहले से ही मौजूद था, ताला लगाने से अभियुक्तों का आशय यह था कि मृतक को साजिश का अंदेशा होने पर वह गेट खोल के भाग न जाये । विजय निषाद के घर पहुंचने पर पूर्व नियोजित साजिश के तहत अभियुक्त कामता प्रसाद ने लकड़ी के चौखट से उसके सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के उपरांत अभियुक्तगण द्वारा शव को घर के एक कमरे में छिपा दिया गया तथा खून के निशानों को साफ कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि रात्रि में दोनों ने मिलकर शव को बोरे में भरने का प्रयास किया, किन्तु शव अकड़ जाने के कारण उसके पैरों को आरी एवं ग्राइंडर मशीन की सहायता से काटते हुए मोड़कर बोरे में रखा गया । इसके बाद शव को अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल से थाना रेउना जनपद कानपुर नगर क्षेत्र के जंगल में ले जाकर जला दिया गया तथा साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से मृतक के पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, जूते एवं अन्य सामान को जंगल में फेंक दिया गया। घटना के बाद मृतक की मोटरसाइकिल को अन्य स्थान पर खड़ा कर दिया गया तथा उसके मोबाइल फोन एवं चश्मे को तोड़कर अन्य दूसरी जगह जंगल में फेंक दिया गया। अगले दिन घटना में प्रयुक्त आरी की ब्लेड, ग्राइंडर ब्लेड एवं खून से सने कपड़ों को अभियुक्त द्वारा अपने खेत पर ले जाकर जला दिया गया। अभियुक्त कामता प्रसाद की निशानदेही पर मृतक के नर कंकाल के अवशेष, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, जूते, ताबीज, मोबाइल एवं चश्मे के अवशेष, जले हुए कपड़ों के अवशेष, आलाकत्ल लकड़ी का चौखट, घटना में प्रयुक्त आरी एवं ग्राइंडर ब्लेड तथा दोनों मोटरसाइकिलें

बरामद की गईं। अभियुक्ता किरन देवी द्वारा भी पूछताछ में घटना में अपनी सहभागिता स्वीकार करते हुए अभियुक्त कामता प्रसाद के कथनों की पुष्टि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता-

1.कामता निषाद पुत्र रामकिशुन निषाद उम्र करीब 30 वर्ष
2.किरन पत्नी कामता निषाद उम्र करीब 26 वर्ष
निवासीगण मनकी थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण-

1.मृतक विजय निषाद का नर कंकाल एवं अन्य मानव अवशेष।
2.घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लकड़ी का चौखट।
3.मृतक की मोटरसाइकिल
4.मृतक से संबंधित पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, चश्मा, मोबाइल के अवशेष, एक जोड़ी जूते, ताबीज, बाल तथा जले हुए कपड़ों के अवशेष आदि।
5.घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
6.घटना में प्रयुक्त लोहे की आरी, ब्लेड एवं ग्राइंडर मशीन की ब्लेड।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री तुषार श्रीवास्तव थाना बकेवर जनपद फतेहपुर
2.उ0नि0 श्री ब्रह्मदेव यादव
3.उ0नि0 श्री रजनीश पाण्डेय
4.का0 ओमनारायन यादव
5.का0 रवीन्द्र
6.रि0का0 अर्जुन
7.रि0का0 मृत्युंजय यादव
8.रि0का0 आशीष कुमार
9.म0का0 मिंकी थाना
10.रि0म0का0 अनुपम यादव

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर